न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 57/2019
दायर दिनांक :– 03/09/2019
निर्णय दिनांक :– 07/02/2020

अनवान

श्री घीसुलाल पिता नानालाल कुमावत निवासी लवाणा तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुंवारिया जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 1027/2015 ना. क. निर्णय दिनांक 24/07/2019

उपस्थित :–

1– श्री सम्पतलाल लढ्ढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट के विरूद्व राजस्व ग्राम लवाणा पटवार हल्का भगवान्दा कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 469/375 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि 469/375/1 रकबा 0–03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमी मानते हुय शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 24.07.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला राजसमन्द

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम लवाणा पटवार हल्का भगवान्दा कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 469/375 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि 469/375/1 रकबा 0–03 बीघा भूमि पर कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने आरक्षित भूमि को आवंटन नियमन योग्य नहीं मानते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि आरक्षित भूमि के संबंध में तहसीलदार को बता दिया गया कि आरक्षित भूमि अब नहीं हैं तथा दिनांक 23.10.2018 को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जो उदयपुर में आरक्षण आदेश दिनांक 08.12.2016 को अपास्त कर दिया अर्थात आ0न0 469/375/1 भूमि आरक्षित नहीं रही तो अपीलार्थी का कब्जा नियमन योग्य होता हैं, यहा उल्लेखनीय हैं कि आरएए उदयपुर के निर्णय दिनांक 23.10.2018 की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को आरक्षित मानकर अपीलार्थी को बेदखली का आदेश कर दिया जो अवैध व गलत होकर काबिल निरस्त हैं। अपीलार्थी का इस भूमि पर काफी पुराना कब्जा है, तथा पुराना कब्जा होने से नियमन योग्य होता हैं। परन्तु गलत तर्क व गलत आधार बताकर जान बुझकर भूमि आरक्षित मान कर फैसला दे दिया हैं, जो अवैध व त्रुटि पूर्ण हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण प्रारम्भ की गई थी। अपीलार्थी के कब्जे के समान ही इसी भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे समान प्रकृति के विद्यमान हैं, तथापि किसी के भी विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ नहीं करके सिर्फ अपीलार्थी को बेदखल करने का कार्य किया है, अपीलार्थी के हक कब्जा की भूमि ही आरक्षित क्यों हुई? अन्य व्यक्तियों को कब्जा बाबत् समान स्थिति होते हुए केवल अपीलार्थी के कब्जा को डिस्टर्ब किया गया, जो विधि के समान संरक्षण सिद्धान्त के पूर्णतः विपरित हैं अन्य समान परिस्थिति के व्यक्तियों के कब्जा को क्यों आज दिन तक बेदखल नहीं किया गया? अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए बेदखली का आदेश कर दिया जो काबिल निरस्त हैं। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम लवाणा पटवार हल्का भगवान्दा कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 469/375 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि 469/375/1 रकबा 0–03 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत हैं। और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें एवं अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम लवाणा पटवार हल्का भगवान्दा कला तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 469/375 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि

469/375/1 रकबा 0–03 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार कुंवारिया द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर 34 अतिक्रमियों द्वारा मकान एवं बाडे बनाकर अतिक्रमण कर रखा हैं। तथा 16 अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। शेष के विरूद्ध कार्यवाही उपतहसीलदार कुंवारिया द्वारा की जा रही हैं।

अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारीज की जाती हैं। तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर समस्त अतिक्रमियों पर बेदखली की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द